रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 15 सितम्बर, 2001
भाद्रपद 24, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2101/सत्रह-वि-1-2 (क)-22-2001

लखनऊ, 15 सितम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2001) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2001)

[भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-2 में,- निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर

"(ख) "नागरिकों के पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक के भाग-क में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख-1) "नागरिकों के अति-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख-2) "नागरिको के अन्य अत्यधिक-पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक के भाग-ग में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ख-3) "नागरिकों के अन्य -पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से है;"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा-3 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"(1) लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा :-

(क) अनुसूची तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में	दस प्रतिशत
(ख) अनुसूची तीन के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों के मामले में	ग्यारह प्रतिशत
(ग) अनुसूची तीन के भाग-ग में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियों के मामले में	एक प्रतिशत
(घ) नागरिकों के पिछड़े वर्गों के मामले में	पाँच प्रतिशत
(ङ) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों के मामले में	नौ प्रतिशत
(च) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों के मामले में	चौदह प्रतिशत

परन्तु खण्ड (घ) (ङ) और (च) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।"

(ख)-उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात:-

"(3) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में,-

(क) अनुसूची-तीन के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा;

(ख) उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनूसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि ऐसी अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।

(3-क) यदि किसी 'भर्ती का वर्ष' में-

(क) नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा।

(ख) नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

(ग) नागरिकों के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उपयुक्त अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा और, यदि नागरिकों के अत्यधिक पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्ति भी उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को नागरिकों के अति पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरा जायगा।

अनुसूची-एक और अनुसूची-दो का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रख दी जायेंगी, अर्थात्-

"अनुसूची-एक

[धारा 2 (ख), (ख-1), (ख-2) देखिये]

भाग-क

1—अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय

भाग-ख

1—सोनार, सुनार, स्वर्णकार

2—जाट

3—कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार

4—गिरि

5—गूजर

6—गोसाई

7—लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत

8—कम्बोज

भाग–ग

1—अरख, अर्कवंशीय

2—काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य

3—कहार, कश्यप

4—केवट, मल्लाह, निषाद्

5—किसान

6—कोइरी

7—कुम्हार, प्रजापति

8—कसगर

9—कुजड़ा या राईन

10—गड़ेरिया, पाल, बघेल

11—गद्दी, घोसी

12—चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक

13—छीपी, छीपा

14—जोगी

15—झोजा

16—डफाली

17—तमोली, बरई, चौरसिया

18—तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक

19—दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ

20—धीवर

21—नक्काल

22—नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

23—नायक

24—फकीर

25—बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी

26—बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान

27—बारी

28—बैरागी

29—बिन्द

30—बियार

31—भर, राजभर

32—भुर्जी, भड़भूजा, भूंज, कांदू, कशोधन

33—भठियारा

34—माली, सैनी

35—स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर

36—लोहार, लोहार-सैफी

37—लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान

38—रंगरेज, रंगवा

39—मारछा

40—हलवाई, मोदनवाल

41—हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास

42—राय सिक्ख

43—सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी

44—धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

45—कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार

46—नानबाई

47—मीरशिकार

48—शेख, सरवरी (पिराई), पीराही

49—मेव, मेवाती

50—कोष्टा/कोष्टी

51—रोड़

52—खुमरा, संगतराश, हंसीरी

53—मोची

54—खागी

55—तंवर, सिंघाड़िया

56—कतुआ

57—[illegible]

58—दांगी

59—धाकड़

60—गाड़ा

61—तंतवा

62—जोरिया

63—पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी

64—कलाल, कलवार, कलार

65—मनिहार, कचेर, लखेरा

66—मुराव, मुराई, मौर्य

67—मोमिन (अंसार)

68—मुस्लिम कायस्थ

69—मिरासी

70—नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे करण (कर्ण)"

संवैधानिक पद

ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो,

(क) भारत का राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ख) भारत का उप राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो/या रहा हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त; भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक हो या रहा हो;

(ङ) इसी प्रकार के संवैधानिक पद पर आसीन हो या रहा हो;

दो–सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री—

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित जो जाय,

(घ) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क या श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ङ) जिनके माता पिता दोनों समूह क या श्रेणी एक के अधिकारी हों और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे अस्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जायं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री—

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क या श्रेणी एक में आ जाय,

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह ख या श्रेणी दो के अधिकारी हों, और उनमें से एक की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उनमें से किसी एक को ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(घ) जिनके माता पिता में से पिता समूह क या श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख या श्रेणी दो की अधिकारी हों और माता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय, और

(ङ) जिनके माता पिता में से माता समूह क या श्रेणी एक की (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो का अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद "स्थायी अक्षमता का" तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा से बाहर हो जाय।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी

ऊपर उप श्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड, इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

तीन—अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)

ऐसे माता पिता, जिनमें से कोई या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ-सेना, वायु-सेना और अर्द्धसैनिक बलों में उसके समकक्ष पदों पर हों, के पुत्र या पुत्री,

स्पष्टीकरण—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जायगा।

(चार) व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड निम्नलिखित पर लागू होंगे

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद्, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—(एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नहीं जोड़ी जायगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख या श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

(पांच) सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री—

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हो) सिंचित भूमि की सर्वाधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जायगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

स्पष्टीकरण—पद "कानूनी अधिकतम जोत सीमा" और "परिवर्तन फार्मूला" का अर्थ उस क्षेत्र के अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जायगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

(ख) पौधा रोपण

(एक) काफी, चाय, रबर आदि—

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम, निबूवंश, सेव आदि—

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जायगी और ऊपर उप श्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन—

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(छः) आय या सम्पति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री:—

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय [illegible] रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का अपात्र न हो किन्तु अन्य श्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण—इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि—

(एक) वेतन या कृषि से आय को मिलाया नहीं जाएगा,

(दो) रुपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो अन्तराल कम भी हो सकता है।"

"अनुसूची—तीन

[धारा 3(3) देखिये]

भाग—क

1—चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव

अनुसूची—1

1—अगरिया	13—बनमानुष
2—बधिक	14—बांसफोड़
3—बादी	15—बरवार
4—बहेलिया	16—बसोड़
5—बैगा	17—बायरिया
6—बैसवार	18—बेलदार
7—बजनिया	19—बेड़िया
8—बाजगी	20—भंतू
9—बलहर	21—भुइया
10—बलायी	22—भुइयार
11—बाल्मीकी	23—बोड़िया
12—बंगाली	24—चेरो

25—दवगर
26—धनगर
27—धानुक
28—धरकार
29—धोबी
30—डोम
31—डोमर
32—दुसाध
33—धरमी
34—घसिया
35—गोंड
36—ग्वाल
37—हबुड़ा
38—हरी
39—हेला
40—कलाबाज
41—कंजड़
42—कपड़िया
43—करवल
44—खैराहा
45—खरवार (बेनवंसी को छोड़कर)
46—खटिक
47—खोरोट
48—कोल
49—कोरी
50—[illegible]
51—[illegible]
52—मझवार
53—मजहबी
54—मुसहर
55—नट
56—पंखा
57—परहिया
58—पासी, तरमाली
59—पाटरी
60—रावत
61—सहरया
62—सनौढ़िया
63—सासिया
64—शिल्पकार
65—तुरैहा"

लम्बित भर्तियों के लिए विशेष उपबन्ध

5—इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध लोक से[...] पर ऐसी भर्ती के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को [...]

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए

(क) कोई भर्ती लम्बित समझी जाएगी यदि उसके अनुसरण में ऐ[...] नियुक्ति न की गई हो;

(ख) पद "लोक सेवाओं और पदों" का वही अर्थ होगा जो [...] अधिनियम में समनुदेशित है।

विष्णुकान्[...]
राज्य[...]
उत्तर [...]

आ[...]
योगेन्द्र रा[...]
प्रमुख[...]

कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर
सं० 605 / कि०लि०-जाति दिनांक 5-11-01
प्रतिलिपि समस्त तहसीलदार जनपद सुल[...] को अनुपालनार्थ प्रेषित।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
नियम व शर्तें प्रवेश पत्र में देखें